9/10/19	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष से पूर्ण नहीं। पत्रावली वास्ते ~~[illegible]~~ आदेश दिनांक 31/10/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **धोद मु. सीकर**
31.10.19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के संलग्न हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **धोद मु. सीकर** (मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.))

Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र / 332 / 2015

1. कालूराम पुत्र गोपाल
2. विमला बैवाह गोपाल
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी धोद तहसील धोद जिला–सीकर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सुन्दर पत्नी पूर्णाराम जाति मीणा निवासी धोद तहसील धोद जिला सीकर
2. अंकित पुत्र ताराचन्द जाति ब्राहमण निवासी धोद तहसील धोद जिला सीकर।
3. सहायक अभियंता, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड धोद जिला सीकर।
4. अधिशाषी अभियंता, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड धोद जिला सीकर।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय धोद मु. सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–
01. श्री सागरमल धायल, वकील प्रार्थीगण की ओर से
02. श्री कैलाश सोनी, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 31.10.2019

01. वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है विवादित आराजी खसरा नम्बर 1288 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 1289 रकबा 2.00 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 3.46 हैक्टर तन ग्राम धोद जिला सीकर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की हिस्सेदारी निम्न प्रकार है :–

वादी संख्या–1 कालूराम का	1/4 हिस्सा
वादी संख्या–2 विमला का	1/12 हिस्सा
प्रतिवादी संख्या–1 सुन्दर का	1/3 हिस्सा
प्रतिवादी संख्या–2 अंकित का	1/3 हिस्सा

उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसका अभी तक बाईमीटस एण्ड बाउन्डस विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 संयुक्त रूप से ही से ही अपने हिस्से अनुसार अन्दाज से काश्त करते चले आ रहे है जिसमें सीमा पर रास्ते को लेकर आये दिन तनाव रहता है वादीगण अपनी भूमि का सही रूप से विकास नहीं कर पा रहें है। वादी गण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की विधिवत बंटवारा करने के लिए कहा तो वे लोग विधिवत बंटवारा करने से इन्कार हो गए, अतः दावा बाबत बंटवारा करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित आराजीयात में अपनी इच्छानुसार रास्ते के नजदीक पुख्ता निर्माण

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

NeGD Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

कार्य चालू कर रखा है व कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन करने व विवादित भूमि में अकेले विधुत सम्बन्ध लेने के लिए प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के कार्यालय में कार्यवाही बाला बाला कर रखी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 अकेले प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 की टयूबवैल पर विधुत सम्बन्ध देने पर आमादा है दिनांक 10.07.2015 का वादी संख्या 1 अपनी भूमि की सार संभाल करने गया हुआ था तो प्रतिवादी–1 व विद्युत विभाग के व्यक्ति आराजी में नाप जोख कर रहे थे तो वादी संख्या–1 कालूराम उनके पास चला गया व इस प्रकार नाप जोख किए जाने का कारण पुछा तो उन्होने बताया कि प्रतिवादी संख्या–1 को विवादित आराजी में बने टयूबवेल पर विद्युत सम्बन्ध जल्द ही देंगे। वादी ने प्रतिवादी संख्या– 1 को विवादित भूमि मे अपनी मर्जी से पुख्ता निर्माण करने व अकेले विधुत सम्बन्ध लेने का उलाहना दिया, तो वह आग बबूला हो गई व कहा कि आप को जो करना करलो मैं तो विवादित आराजी में पुख्ता मकानो का मेरी इच्छानुसार निर्माण करूंगी व अकेले विधुत सम्बन्ध भी जल्दी ही लूंगी। यदि प्रतिवादी अपने इस कुउद्देश्य मे कामयाब हो गई तो वादीगण की असीम क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति की जाना कतई संभव न होगा, अतः उसे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण का मामला प्रथम दृष्टया मजबूत है व सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1288 रकबा 1.46 हैक्टर खसरा नम्बर 1289 रकबा 2.00 हैक्टर किता–2 कुल रकबा 3.46 हैक्टर तन ग्राम धोद से प्रार्थीगण को बेदखल करने विवादित अराजीयात में कच्चा पक्का निर्माण करने व अकेले टयूब वेल पर विधुत सम्बन्ध देने व लेन से बाज रहें तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखें।

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 पर बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 2 की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश सोनी उपस्थित हुए परन्तु जवाब पेश नहीं किया। अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश सोनी ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि विवादित भूमियों का पक्षकारान के मध्य बाई मिटस एवं बाउण्डस विभाजन नहीं हुआ है। परन्तु विवादित भूमियां मौके पर पूर्व खातेदारान के समय से ही बंटी हुई है एवं विभक्तशुदा अपने अपने हिस्से पर नलकूंप एवं ढाणीयां बनाकर काबिज है, तथा तदनुसार ही काश्त करते चले आ रहे है। खातेदारान पक्षकारान के उपर्युक्त प्रकार से काबिज अनुसार बाई मिटस एवं बाउण्डस विभाजन करवाने में जवाबदातागण भी सहमत है तथा कभी भी इंकार नहीं किया है। प्रार्थीगण के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्ट्या मामला है, ना ही सुविधा का सन्तुलन है, तथा ना ही अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त है। प्रार्थीगण जवाबदातागण के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा की एवं अन्य अनुतोष प्राप्त किए जाने के अधिकारी नहीं है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1288 रकबा 1.46 है0 एवं खसरा नम्बर 1289 रकबा 2.00 है0 कुल किता 2 रकबा 3.46 है0 वाके ग्राम धोद तहसील धोद व जिला सीकर राजस्थान के 1/3 हिस्से का पूर्व काबिज काश्तकार महेश दतक पुत्र राधेश्याम था, जिससे उक्त 1/3 हिस्सा जवाबदाता संख्या 1 ने दिनांक 30.06.2006 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय क्रय किया था, जिसके कारण खातेदारी में जवाबदाता संख्या 1 का नाम अंकित हुआ है। जवाबदातागण खातेदार काश्तकार है, तथा प्रार्थीगण ने एकतरफा स्थगन लेकर खातेदार को उनके हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने से वंचित कर दिया है। खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

काश्तकार को उपने हिस्से की भूमि का उपयोग अपभोग किए जाने का पूर्ण अधिकार है। एक खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। जवाबदाता सुन्दरी ने अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कनेक्शन प्राप्त करने हेतु विधुत विभाग मे आवेदन कर रखा है, जिसका मांगपत्र आने पर जवाबदाता सुन्दरी ने नकद राशि भी विधुत विभाग में दिनांक 15.02.2015 को जमा करवा दी है। परन्तु इस प्रकरण में एकतरफा स्थगन के कारण जवाबदाता सुन्दरी को कृषि कनेक्शन प्राप्त नहीं हो सका है। जिसके कारण वह अपनी भूमि को उपजाउ बनाने में सक्षम नहीं है, तथा बिना वजह उसे परेशान होना पड़ रहा है। अतः जवाब आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिच किया जावें।

03. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को ही बहस में दोहराया तथा बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की है। हमारा कब्जा रास्ते के पीछे है, जबकि अप्रार्थीगणों का रास्ते पर है। उक्त जमीन में सभी रहवास कर रहे है। अप्रार्थीगण बिना बंटवारा किये निर्माण कर रहे है। मूल वाद में बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जा चुका है। बंटवारा प्रस्ताव आने तक स्थगन जारी रखा जावें। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने बहस के दौरान अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि सहखातेदारी की है। एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को पाबंद नहीं करा सकता। हमारे द्वारा रजि. विक्रय पत्र से जमीन खरीदी थी। रास्ते का विवाद है तो धारा 251–ए में प्रार्थना–पत्र पेश करना चाहिए था। हमें मकान/विद्युत कनेक्शन लेने से रोका जा रहा है। एकपक्षीय टी.आई. जारी की गई है, जिसको खारिज किया जावे। अतः प्रार्थी के आवेदन को खारिज किया जावे। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने पुनः रिपीटल कथन किया कि अजनबी केता केवल विभाजन की डिमांड कर सकता है। निर्माण बिना विभाजन नहीं कर सकते है। बंटवारा हमें करवाना है। सहकृषक को भी पाबंद करा सकते है। प्रत्येक हिस्से पर कब्जा प्रार्थीगण का है। विभाजन का कांउटर क्लेम भी प्रस्तुत किया है। अतः टी.आई. स्वीकार की जावें।

04. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में मूल वाद बंटवारा का है। सहखातेदारी की भूमि पर जब तक बंटवारा नहीं हो जाता है, जब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का उनके हिस्से अनुसार बराबर का अधिकार है। इससे स्पष्ट है कि जब सभी सहखातेदारों को प्रत्येक इंच पर अधिकार है, तब एक सहखातेदार किसी दूसरे सहखातेदार को बेदखल नहीं कर सकता है। द्वितीय जब तक अंतिम बंटवारा होकर राजस्व नक्शे में सभी सहखातेदारों का हिस्सा पृथक–पृथक नहीं हो जाता, तब तक सहखातेदारी की भूमि पर किसी भी सहखातेदार को नवीन निर्माण करने का अधिकार नहीं है। लेकिन बंटवारे के वाद में किसी भी सहखातेदार को उसके हिस्से को बेचान/रहन/दान/वसीयत करने से रोकना हम उचित नहीं मानते है। बंटवारे के वाद में किसी प्रतिवादी पक्षकार द्वारा यदि अपना हिस्सा बेचा जाता है, तो उससे वाद पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। बंटवारे के वाद में यह कतई आवश्यक नहीं है कि सभी सहखातेदारों का पृथक–पृथक बंटवारा किया जावे। यदि प्रतिवादीगण बंटवारा नहीं कराना चाहें तो केवल वादी पक्ष के हिस्से का ही बंटवारा किया जायेगा, बाकी सभी प्रतिवादीगणों को संयुक्त ही रखा जायेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

अतः उपर्युक्त विवरण के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1288 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 1289 रकबा 2.00 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 3.46 हैक्टर तन ग्राम धोद की वाद के अंतिम निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा किसी प्रकार का नवीन निर्माण नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के संलग्न हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

(राजप्रताप यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner